


## सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत श्री संजय कुमार साहु पिता- रामबृक्ष साहु, ग्राम- पचड़ा, थाना- केरेडारी जिला- हजारीबाग (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम- उडसू, थाना- टंडवा, जिला - चतरा (झारखण्ड) थाना सं. 54 (रेयती भूमि) खाता सं. 30, प्लॉट सं. 119, ग्राम- बिंगलात थाना सं. 49. (रेयती भूमि) खाता सं. 15, प्लॉट सं. 301, 488, 489, 537, 614, 616, 636, 642, 679, 686, 71; खाता सं. 8, प्लॉट सं. 508, खाता सं. 1, प्लॉट सं. 528, 529, खाता सं. 7, प्लॉट सं. 293, खाता सं. 2, प्लॉट सं. 688. कुल रकबा - 02.0001 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के एवज मे रोजगार का एक प्रस्ताव प्रोसैस किया गया है।

अगर उक्त रोजगार पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ बेबसाईट [http://www.centralcoalfIELDS.in/indsk/noti\\_empl\\_Ind.php](http://www.centralcoalfIELDS.in/indsk/noti_empl_Ind.php) पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर सभी दस्तावेजो एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपति लिखित रूप मे महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर उक्त पंद्रह दिनो के अंदर कोई आपति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि श्री संजय कुमार साहु, पिता- रामबृक्ष साहु, ग्राम- पचड़ा, थाना- केरेडारी जिला - हजारीबाग (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम- उडसू, थाना- टंडवा, जिला - चतरा (झारखण्ड) थाना सं. 54 (रेयती भूमि) खाता सं. 30, प्लॉट सं. 119, ग्राम- बिंगलात थाना सं. 49. (रेयती भूमि) खाता सं. 15, प्लॉट सं. 301, 488, 489, 537, 614, 616, 636, 642, 679, 686, 71; खाता सं. 8, प्लॉट सं. 508, खाता सं. 1, प्लॉट सं. 528, 529, खाता सं. 7, प्लॉट सं. 293, खाता सं. 2, प्लॉट सं. 688. कुल रकबा - 02.0001 एकड़ भूमि के तहत श्री संजय कुमार साहु, पिता- रामबृक्ष साहु, ग्राम- पचड़ा, थाना- केरेडारी जिला - हजारीबाग (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम- पचड़ा, थाना- केरेडारी जिला - हजारीबाग (झारखण्ड) के रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपति नहीं है।

  
25/10/22